

## चेक-लिस्ट

(आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें)

क्र.	संलग्न की जाने वाली जानकारी/दस्तावेज	आवेदन प्रपत्र का बिन्दु क्र.	जानकारी/दस्तावेज संलग्न किया है। (हाँ/नहीं अथवा लागू नहीं लिखें)	परिशिष्ट क्रमांक	आवेदन के साथ संलग्नक का पृष्ठ क्र.	
					पृष्ठ क्र. से	पृष्ठ क्र. तक
1	संस्था का म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति।	(1) (ड)				
2	संस्था की नियमावली/विधान (रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित) की प्रति।	(1) (च)				
3	धारा 27/28 के अंतर्गत संस्था की वैधता का नवीनतम प्रमाण-पत्र की प्रति।	(2)				
4	संस्था की कार्यकारिणी की रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं सोसायटी द्वारा सत्यापित नवीनतम सूची की प्रति।	(4)				
5	संस्था का आयकर PAN की प्रति।	(5)				
6	निर्धारित प्रपत्र में बैंक का ऑथोराइजेशन लेटर	(6)				
7	संस्था के बैंक खाते के पासबुक के प्रथम पृष्ठ (नाम, पता, खाता संख्या, खाते का प्रकार) की प्रति।	(7)				
8	संस्था के विगत तीन वर्षों के मुख्य कार्यकलाप/गतिविधियों का विवरण (प्रमाणित साक्ष्य सहित)	(8)				
9	विगत तीन वर्षों में संस्कृति संचालनालय से प्राप्त अनुदान एवं इसके उपयोग की जानकारी (गतिविधियों एवं व्यय विवरण सहित)	(9)				
10	संचालनालय द्वारा संस्था को विगत तीन वर्षों में स्वीकृत अनुदान का, सी.ए. द्वारा प्रमाणित वर्षवार उपयोगिता प्रमाण-पत्र की मूल प्रति।	(10)				
11	संस्था द्वारा अनुदान हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम/शीर्षक तथा संक्षिप्त विवरण।	(12)				
12	विगत तीन वर्षों के ऑडिटेड आय-व्यय/प्राप्ति भुगतान एवं बैलेन्स शीट	(14)				

## बैंक अनुज्ञा पत्र

मैं/हम ..... (समिति का नाम) संस्कृति संचालनालय द्वारा हमको संवितरित राशि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने बैंक खाता में चाहते हैं ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

### प्राप्तकर्ता का विवरण

प्राप्तकर्ता (संख्या) का नाम जैसा कि बैंक खाते में है	
पता	
जिला का पिनकोड	
राज्य	
एस टी डी कोड सहित दूरभाष नम्बर	
मेबाईल नम्बर	
ई-मेल का पता (यादि हो)	

### बैंक ब्यौरे

बैंक का नाम	
बैंक शाखा (पूर्ण पता और दूरभाष नम्बर)	
बैंक खाता नम्बर	
खाते का प्रकार	
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की सुविधा उपलब्ध है ECS/RTGS/NEFT	
IFSC code	
MICR Code	

हस्ताक्षर .....

नाम .....

संस्था का नाम .....

खाता नम्बर और आई एफ एस सी / एम आई सी आर कोड और मेरे द्वारा सत्यापित किए गए हैं और ऊपर शुद्धतया अभिलिखित किए गए हैं।

प्रबंधन

(खाता सधारण करने वाली शाखा)  
(बैंक के प्रबंधन द्वारा नीली स्याही मुद्रा में हस्ताक्षर किया जाए)

आवेदन पत्र प्रारूप

अनुदान योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता अनुदान के लिए  
आवेदन

प्रति

श्रीमान संचालक,  
संस्कृति संचालनालय, भोपाल,

विषय: वित्तीय सहायता/सहायता अनुदान हेतु आवेदन।

महोदय/महोदया,

हम, एतद्वारा वित्तीय सहायता/सहायता अनुदान हेतु निम्नलिखित आवेदन प्रस्तुत करते हैं,  
अर्थात्:-

वित्तीय वर्ष .....

(1) संस्था/संगठन का विवरण:-

(क) संस्था का नाम .....

(ख) संस्था का वर्तमान पूर्ण पता.....

(पिनकोड सहित) .....

(ग) संस्था की स्थापना का वर्ष.....

(घ) संस्था का म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियमके तहत पंजीयन क्रमांक/दिनांक : .....

(ङ) पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति परिशिष्ट क्र.

(च) प्रमाणित विधान/नियमावली की प्रति परिशिष्ट क्र.

(2) धारा 27/28 के अंतर्गत संस्था की वैधता का प्रमाण परिशिष्ट क्र.

(3) संस्था के वर्तमान पदाधिकारियों के नाम, पते एवं दूरभाष/मोबाइल नं.

पदनाम	नाम	पता	दूरभाष/मोबाइल नं.
संरक्षक			
अध्यक्ष/निदेशक			
उपाध्यक्ष/उप निदेशक			
कोषाध्यक्ष			
सचिव			



- (4) संस्था की कार्यकारिणी की रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटी द्वारा सत्यापित नवीनतम सूची परिशिष्ट क्र.
- (5) संस्था का PAN नं. की प्रति परिशिष्ट क्र.
- (6) संस्था के बैंक खाते की जानकारी एवं ऑथराइजेशन लेटर परिशिष्ट क्र.
- (7) संस्था की बैंक खाते के पास बुक की प्रथम पृष्ठ  
(नाम, पता, खाता संख्या, खाते का प्रकार) की प्रति अनिवार्य है। परिशिष्ट क्र.
- (8) संस्था की विगत तीन वर्षों की वर्षवार मुख्य गतिविधियां (संक्षिप्त में) एवं समाचार पत्रों में (दिनांक एवं संस्करण सहित) प्रकाशित कार्यक्रमों के फोटोग्राफ/सी.डी. अनिवार्यतः संलग्न करें। (जिसमें पिछले तीन वर्षों के पृथक-पृथक प्रमाणित साक्ष्य हों)  
परिशिष्ट क्र.
- (9) विगत तीन वर्षों में संस्कृति संचालनालय से प्राप्त सहायता अनुदान की राशियां एवं इसके उपयोग से सम्पन्न गतिविधियों के ब्यौरे (आवश्यक होने पर परिशिष्ट संलग्न करें)  
परिशिष्ट क्र.

वर्ष	प्राप्त अनुदान (रु. लाख में)	कार्यक्रम का नाम	विधा/कलारूप	व्यय की गई राशि (रु. लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				योग
				योग
				योग

(10) संचालनालय द्वारा संस्था को विगत तीन वर्षों में स्वीकृत (यदि स्वीकृत की गयी हो) अनुदान राशि के उपयोग का वर्षवार अंकेक्षित (चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित) उपयोगिता प्रमाण-पत्र, व्यय विवरण सहित संलग्न करें। परिशिष्ट क्र.

(11) पिछले तीन वर्षों में भारत सरकार एवं किसी अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान के ब्यौरे और प्रयोजन :-

वर्ष	संस्था का नाम जहां से अनुदान प्राप्त हुआ	अनुदान राशि (रु.)	प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)

(12) संस्था द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों का नाम/शीर्षक (जिसके लिए अनुदान चाहा गया है) तथा विवरण (अधिकतम 300 शब्दों में) एवं मदवार लागत विवरण। परिशिष्ट क्र.

(13) चाही गई वित्तीय सहायता राशि रु.....

(14) विगत तीन वर्षों के चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ऑडिटेड आय-व्यय, प्राप्ति भुगतान, बैलेन्स शीट एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन संलग्न करें :-

- |                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1. वित्तीय वर्ष ..... | परिशिष्ट क्र. <input type="text"/> |
| 2. वित्तीय वर्ष ..... | परिशिष्ट क्र. <input type="text"/> |
| 3. वित्तीय वर्ष ..... | परिशिष्ट क्र. <input type="text"/> |

शर्तें:-

- आवेदन के साथ संलग्न चेक-लिस्ट पूर्ण रूप से भरी हो एवं वांछित समस्त संलग्न अभिलेख, संस्था के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना अनिवार्य है।
- जिन संस्थाओं को इस योजना के अन्तर्गत अनुदान स्वीकृत किया जाएगा उन्हें उस वित्तीय वर्ष में संचालनालय से पृथक से अन्य कोई सहायता/सहयोग प्रदान नहीं किया जा सकेगा।
- जिस कार्यक्रम/गतिविधि के लिये कितनी-कितनी राशि का अनुदान चाहा गया है, कंडिका 12 में इसका स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य है। इसके आधार पर ही आवेदन विचारार्थ रखा जा सकेगा।



4. सक्षम समिति के विचार उपरान्त जिन संस्थाओं को अनुदान दिया जाएगा, उनके आवेदन संचालनालय के उस वित्तीय वर्ष के प्रथम अंकेक्षण/एक वर्ष तक एवं जिन संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत नहीं होगा, उनके आवेदन अनुदान स्वीकृति आदेश जारी होने के एक माह पश्चात् विनिष्ट किए जा सकेंगे। इसके लिये किसी भी तरह की मांग अथवा प्रश्न नहीं किया जा सकेगा।
5. समयावधि में प्रस्तुत आवेदनों में किसी प्रकार की अपूर्णता तथा वांछित परिशिष्ट/संलग्नक, चेक लिस्टके निर्धारित अनुक्रम में संलग्न नहीं पाए जाने पर, आवेदन विचार योग्य नहीं माना जाएगा।
6. संस्थाओं को सहायता, अनुदान नियमों के निर्धारित मापदण्डों और राशि की उपलब्धता के आधार पर सक्षम समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त अनुशंसित की जावेगी। समिति की अनुशंसा पर लिया गया निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा, जिसके संबंध में कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा।
7. पात्र संस्थाओं को स्वीकृत अनुदान राशि का भुगतान ई-भुगतान के माध्यम से ही किया जाएगा। अतः ई-भुगतान हेतु बैंक की सही एवं पूर्ण जानकारी निर्धारित "बैंक अथोराइजेशन लेटर" में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

मैं.....पद ....., संस्था का नाम .....

....., सत्यतापूर्वक यह अभिकथन करता हूँ कि संस्था की ओर से अनुदान आवेदन प्रस्तुत करने तथा संलग्न दस्तावेजों/प्रतिलिपियों को सत्यापित/प्रमाणित करने हेतु अधिकृत हूँ तथा संस्था की उक्त प्रस्तुत/संलग्न समस्त जानकारी/विवरण सत्य है। हमारी संस्था को सहायता अनुदान योजना संबंधी समस्त शर्तों-नियम स्वीकार हैं। हम वचन देते हैं एवं इससे पूरी तरह सहमत हैं कि अनुदान हेतु प्रस्तुत अस्वीकृत आवेदन निर्णय होने के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक माह पश्चात् एवं अनुदान स्वीकृत/प्राप्त संस्थाओं के आवेदन उस वर्ष के प्रथम अंकेक्षण के तत्काल बाद विनिष्ट कर दिए जाएं। तथा आवेदन के साथ संलग्न किए गए समस्त अभिलेख मेरी संस्था की व्यक्तिगत जानकारी होने के कारण किसी अन्य को दिए जाने हेतु सहमत नहीं हूँ।

**संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर**  
(नाम/पदनाम एवं मुद्रा)